



# छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



क्रमांक: ~~1396~~/शैक्ष./प्रवेश/2017-18

दुर्ग दिनांक: 21/08/2017

## //संशोधित काउंसिलिंग प्रवेश सूचना//

विश्वविद्यालय काउंसिलिंग प्रवेश सूचना क्र. शैक्ष./प्रवेश/2017-18/दुर्ग 1364 दिनांक 17/08/2017 के द्वारा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा दुर्ग में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में बी. व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में NEET (UG) 2017 के परीक्षा परिणाम की प्रावीण्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग सूचना दिनांक 29/08/2017 एवं दिनांक 30/08/2017 को निर्धारित की गई थी, उक्त काउंसिलिंग प्रवेश सूचना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन/प्रतिस्थापन किया जाता है:—

1. दिनांक 31 अगस्त 2017 को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन प्रातः 10:00 बजे से 04:00 बजे तक एवं 01 सितम्बर 2017 को पंजीयन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ होगी।
2. प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित All India NEET-2017 rank वाले प्रत्याशी जो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, पात्र होंगे।

वर्ग	All India NEET-2017 rank (केवल छत्तीसगढ़ के निवासी)
खुली स्पर्धा, अनारक्षित, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	1 से 1,00,000
अनुसूचित जाति (एस.सी.)	1 से 2,00,000
अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)	1 से 3,00,000

  
कुलसचिव

## छत्तीसगढ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ0ग0)

कमांक: शैक्ष./प्रवेश/ 2017-18/1396

दिनांक : 21/08/2017

### प्रवेशसूचना

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा दुर्ग (छ0ग0)

बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2017-18

छत्तीसगढ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ0ग0) के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा दुर्ग (छ0ग0) में बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 के प्रथम वर्ष में 64 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है।

सीटों का आरक्षणवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

महाविद्यालय का नाम	खुली स्पर्धा (ओ.सी.) अनारक्षित सामान्य					अनु.जनजाति (एस.टी.)					अनु जाति (एस.सी.)		अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)		जे. एण्ड के. माइग्रेन्ट	योग										महायोग
	X	F	F	S	D	X	F	K	F	S	D	X	F	X	F	J&K	X	F	K	F	S	D	J & K			
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	16	7	1	1	1	10	6	1	1	1	1	6	2	6	3	1	38	18	1	2	2	2	1	64		
काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित नीट (NEET)- 2017 की प्रावीण्य सूची के आधार पर	नीट (NEET)- की मेरिट एवं 50 प्रतिशत न्यूनतम at 10+2 level					नीट (NEET)- 2017 की मेरिट एवं 47.5 प्रतिशत न्यूनतम at 10+2 level																				
<b>व्ही.सी.आई. कोटा: 12</b>																										
<b>विभागीय कोटा (राज्य शासन, पशुधन विकास विभाग):04</b>																										

वर्ग F=महिला, K=कृषक, FF=स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, S= सैनिक D= नि:शक्तता, X= इन 4 में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग

काउंसिलिंग स्थान:- पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा दुर्ग

नीट (NEET) -2017 की प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसिलिंग हेतु पंजीयन दिनांक 31.08.2017 को प्रातः 10.00 से 04 बजे तक नियत है। नियत दिनांक एवं समय पर पंजीयन नहीं

*Smack*

कराने वाले प्रत्याशियों को प्रवेश प्रक्रिया में विचार नहीं किया जावेगा । पंजीयन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 को प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ होगी । काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को रू. 500/— तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रत्याशी को रू. 300/— काउंसिलिंग फीस जमा करनी होगी ।

काउंसिलिंग के समय प्रवेशार्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (निर्धारित प्रारूप में) एवं दो-दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है (1) नोट (NEET) --2017 परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं अंकसूची (2) 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची (3) छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र (4) स्थाई जाति एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र (5) आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र नोट (NEET) --2017 के नियम पुस्तिका में दर्शित प्रारूप में (6) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (7) विकलांग प्रमाण पत्र (8) आय प्रमाण पत्र (9) टी.सी. एवं माईग्रेसन (10) गैप हेतु शपथ पत्र (11) स्वयं के वर्तमान के 03 पासपोर्ट साइज फोटो ।

चयनित उम्मीदवारों को समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा प्रवेश शुल्क (गैर छात्रावासी रू. 23,481/— छात्रावासी रू. 33,169/—) एवं नामांकन शुल्क (सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिये रू. 150/— तथा एस.सी. एवं एस.टी. के लिये रू. 40/—) तत्काल उसी दिन जमा करना होगा, प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर पंजीयन निरस्त मानी जावेगी ।

नोट (NEET)--2017 की मेरिट एवं छ.ग. शासन के प्रवेश नियम (2017-18) के नियम बंधनकारी होंगे । प्रत्याशियों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से बुलावा पत्र (Call letter) नहीं भेजा जावेगा ।

अस्थायी आबंटन/ प्रवेश के पश्चात प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान या पश्चात कभी भी प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर आबंटन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा गलत जानकारी देने / सही जानकारी छिपाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जासकेगी ।

विस्तृत जानकारी हेतु पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा दुर्ग में कार्यालयीन समय प्रातः 10 से 5 बजे तक अधिष्ठाता / अध्यक्ष (प्रवेश काउंसिलिंग) फोन क्रमांक कार्यालय :- 0788- 2623326 से संपर्क करें । ,

  
कुलसचिव

## प्रमाणपत्रों के प्रारूप

प्रारूप -1

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....  
 प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

## स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री.....पिता/पति का नाम....  
 .....निवासी ग्राम / नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....  
 .....तहसील.....जिला.....संभाग.....  
 जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संघ में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....  
 .....पर अंकित है अतः श्री / सुश्री .....पिता/पति का नाम.....  
 अनुसूचित जाति/ जनजाति का / की है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....है ।

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
 पदनाम एवं सील

## टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे । (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद् / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।  
 यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

प्रारूप -2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़कर) प्रवर्ग  
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र  
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण -पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री .....  
.....निवासी ग्राम ..... जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है,  
जो .....जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिम  
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ  
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.....और /या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .....  
.....संभाग .....में निवास करता है व छत्तीसगढ़ के राज्य में दिनांक.....  
.....को प्रवजन कर चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....कीमी लेयर (संपन्न  
वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं  
प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-03 द्वारा जारी सूची में  
कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1  
आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया  
है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रुपये.....है ।

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम एवं सील

प्रारूप -3

## कार्यरत किसान प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम.....  
 .....के माता - पिता/ श्री/श्रीमती .....  
 .....वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान है उनके पास .....  
 हेक्टेयर भूमि.....गांव.....तहसील.....  
 जिला..... राज्य छत्तीसगढ़ मे है ।  
 ये कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के  
 अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है ।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :-  
 श्री/श्रीमती/कुमारी .....नें 5वीं,8वीं,10वीं, एवं 12वीं कक्षाओं में  
 से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में  
 किया/ अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाएँ ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों  
 से उत्तीर्ण की है :-

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 5वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12 वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :.....

दिनांक:.....

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

प्रारूप -4

जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री / सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित है ।

स्थान.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी  
का नाम) श्री / सुश्री.....  
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के / की वैध संतान है । जो श्री / सुश्री .....  
.....( स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम ) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला .....  
.....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में  
क्रमांक .....पर पंजीकृत है ।

स्थान.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा  
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से  
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी  
पदनाम एवं सील



प्रारूप -6 (ए)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती (माता पिता का नाम) .....  
.....जो **NEET-2017** द्वारा संचालित .....  
.....परीक्षा के आधार पर बी.व्ही.एस.सी.एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी  
श्री /कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) .....  
..... के पिता/माता है ,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के /की एक भूतपूर्व सैनिक है । सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के  
समय वे .....पद पर थे / थी और उनका सर्विस क्रमांक.....  
.....था ।

(ब) उन्होंने थलसेना /वायुसेना/नौसेना में .....पद पर सर्विस  
क्रमांक .....के अधीन सेवा की है । सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो  
गए है / सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है ।

स्थान.....

दिनांक:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर  
कार्यालय सील

प्रारूप -6 (बी)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती .....  
(अभ्यर्थी के पिता/ माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री  
.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो  
उसे काट दे) है वह थल सेना /वायुसेना/नौसेना में .....ओहदे पर सर्विस  
क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा.....  
.....इकाई में पदस्थ है । वे इस इकाई में दिनांक .....से  
सेवारत है । .

स्थान.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)  
कार्यालय सील  
क्रमांडिंग आफिसर

## स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....  
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी .... निवासी.....  
 तहसील..... व जिला ..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि  
 वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।

2. (क) वह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित नहो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)  
 छत्तीसगढ़ म निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालको में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा  
 व्यवसाय रखते हैं ।

**परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त** निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य  
 में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त  
 की है ।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं  
 उत्तीर्ण की हों अर्थात -

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवी कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा।

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों /कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी / कर्मचारी उनकी पत्नी/पति अथवा संतान

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

पदनाम एवं सील

प्रारूप -8

न्यायालय तहसीलदार.....जिला.....(छत्तीसगढ़)

## // आय प्रमाण पत्र //

पूर्ण जानकारी के अनुसार यह प्रमाणित करत हूं कि

1. श्री / श्रीमती / कु.....पुत्र / पुत्री पत्नी .....  
..... का स्थायी निवासी.....  
..... तहसील.....जिला..... छत्तीसगढ़ का है ।
2. श्री / श्रीमती / कु..... का है और उसकी उपजाति.....  
..... उसका धर्म..... है ।
3. छात्र / छात्रा के पिता / माता / अभिभावक श्री.....  
..... आत्मज श्री.....  
छात्र / छात्रा की अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ..... शब्दों में..... रूपये है ।

सीना :.....

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर  
प्राधिकृत अधिकारी,  
पदनाम एवं सील

नोट:

1. पिता / माता / पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।  
यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी को सलाह दी जाती है कि यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करे ।